भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2081

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायधिकरण</u>

2081. श्रीमती रक्षाताई खाडसे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायधिकरण (एनसीएलएटी)प्रचालित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कर्मचारी खाका/क्षमता और बजट प्रावधान क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में कब तक एनसीएलटी और एनसीएलएटी के प्रचालित होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): एनसीएलटी और एनसीएलएटी के गठन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और माननीय न्यायालय ने 14 मई, 2015 के निर्णय द्वारा इस मामले का निर्णय किया था। इन निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले वित्तीय वर्ष से इन निकायों के कार्य प्रारंभ करने की संभावना है।

*****